रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 1973/चैत्र 8, 1895

No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1973/CHAITRA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

ORDERS

INCOME-TAX

New Delhi, the 29th March 1973

S.O. 181(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (1) of sub-section (2) of section 297 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Jammu and Kashmir (Taxation Concessions) Order, 1958, namely:—

1. (1) This Order may be called the Jammu and Kashmir (Taxation Concessions) (Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 1973.

2. In the Jammu and Kashmir (Taxation Concessions) Order, 1958, paragraph 7 shall be omitted.

[No. 323/F. No. 135(3)/73-TPL.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

आयकर

नई दिल्ली 29 मार्च, 1973

का०आ० 181(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)की धारा 297 की उपधारा 2 के खण्ड(ठ)के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायतें) आदेश, 1958 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायतें) (संशोधन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह अप्रैल, 1973 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायतें) आदेश, 1958 में पैरा 7 लुप्त कर दिया जाएगा ।

[सं० 323/फा० सं० 135(3)/73–टी पी एल]

S.O. 182(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (1) of sub-section (2) of section 297 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Part B States (Taxation Concessions) Order, 1950, namely:—

1. (1) This Order may be called the Part B States (Taxation Concessions) (Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 1973.

2. In the Part B States (Taxation Concessions) Order, 1950, in paragraph 15, item (iii) shall be omitted.

[No. 324/F. No. 135(3)/73-TPL.]

का०आ० 182(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)की धारा 297 की उपधारा (2) के खण्ड (ठ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भाग ख राज्य(कराधान रियायतें)आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:—

1. (1) इस आदेश का नाम भाग ख राज्य (कराधान रियायतें) (संशोधन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह अप्रैल, 1973 के प्रथम दिन को लागू होगा ।

2. भाग ख राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के पैरा 15 में, मद(iii)लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं० 324/फा० सं० 135 (3)/73–टी पी एल]

S.O. 183(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (1) of sub-section (2) of section 297 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Merged States (Taxation Concessions) Order, 1949, namely:—

1. This Order may be called the Merged States (Taxation Concessions) (Amendment) Order, 1973.

2. In the Merged States (Taxation Concessions) Order, 1949, in paragraph 13,—
(a) item (i) shall be omitted with effect from the 2nd day of April, 1973;
(b) item (iv) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 1973.

[No. 325/F. No. 135(3)/73-TPL.]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

का०आ० 183 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 297 की उपधारा (2) के खण्ड (ठ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विलीन राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम विलीन राज्य (कराधान रियायतें) (संशोधन) आदेश, 1973 है ।

2. विलीन राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 के पैरा 13 में,—
(क) मद (i) अप्रैल, 1973 के द्वितीय दिन से लुप्त की जाएगी ;
(ख) मद (iV) अप्रैल, 1973 के प्रथम दिन से लुप्त की जाएगी ।

[सं० 325/फा० सं० 135(3)/73-टी पी एल]

आर० डी० शाह, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973